न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/206/2021
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/499

अपीलार्थी
श्री रविन्द्र कुमार शर्मा,
नि0एफ–159, वैशाली नगर, जयपुर (राज.)–302021

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रवेश तिथि :: 30.11.2021
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 11.01.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 15.07.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर इन्दिरा गांधी स्टेडियम, अलवर में मल्टीपरपज इन्डोर हॉल में पी.यू. सिन्थेटिक फ्लोरिंग लगाने के कार्य संबंधी निविदा अंतर्गत 01 लगायत 12 बिन्दुओं पर सूचना/जानकारी/दस्तावेजात् प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. उक्त RTI प्रा0पत्र दिनांकः 15.07.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः लेखा/आर.टी.आई. /2021/8322/21 दिनांकः 12.08.21 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय को प्राप्त हुई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
7. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 15.07.2021 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 11.01.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर